

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-28/15

श्री के.पी. राय (सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक)
निवासी—गली नं. 6 धनारे कॉलोनी,
तह. व जिला— नरसिंहपुर (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

(1) अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., नरसिंहपुर।

— अनावेदकगण

(2) कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., नरसिंहपुर

आदेश

(दिनांक 06.01.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में की गई शिकायत द्वारा श्री के.पी. राय विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त, नरसिंहपुर तथा अन्य 1 में फोरम के पत्र क्रमांक 3395-96 दिनांक 30.07.2015 के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से दिनांक 31.10.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 आवेदक द्वारा उनका आवेदन पत्र दिनांक 13.7.2015 जो कि फोरम को दिया गया था एवं फोरम द्वारा उस आवेदन पत्र पर कार्यवाही न करते हुए मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र) को उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर अवगत कराने हेतु दिनांक 30.7.2015 को लिखा गया था।

03 फोरम के निर्देश दिनांक 30.7.2015 के तहत विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण आवेदक द्वारा दिनांक 31.10.2015 को अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के यहाँ प्रस्तुत किया।

04 उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 18.12.2015 व 4.1.2016 को सुनवाई की गई। दिनांक 4.1.16 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.36 के तहत विवाद उत्पन्न होने के 60 दिन के अंदर अभ्यावेदन नहीं देने की समय सीमा की आपत्ति ली तथा कंडिका 3.37 के अनुरूप आवेदक के विरुद्ध बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा न करने पर अभ्यावेदन की वैधता को चुनौती दी।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके विद्युत पंप के लिए विभाग द्वारा मीटरयुक्त विद्युत कनेक्शन जारी किया था परन्तु कालांतर में बिना उनकी सहमति के फ्लेट रेट प्रणाली से बिलिंग प्रारंभ कर दी गई जो कि उन्हें मान्य नहीं थी। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके विद्युत पंप के लिए डाली गई विद्युत लाईन दिनांक 10.6.2014 को क्षतिग्रस्त होने के कारण बार-बार अनुरोध करने पर तथा फोरम में शिकायत करने पर व फोरम द्वारा दिये गये दिनांक 30.7.2015 के निर्देश के अनुसार भी उनके विद्युत लाईन को पुनः स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद भी आवेदक के विरुद्ध निरंतर विद्युत राशि की डिमांड की जाती रही। जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि हुई। आवेदक ने बताया कि विद्युत उपलब्ध नहीं थी इसलिए उनके विरुद्ध दिये गये बिलों का भुगतान किया जाना संभव नहीं था। साथ ही आवेदक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि विद्युत लाईन उपलब्ध न होने के कारण उनको हुई क्षति का मुआवजा भी दिलवाया जाए।

06 आवेदक द्वारा उन्हें विद्युत पंप के लिए डाली गई लाईन दिनांक 10.6.2014 को टूट जाने के पश्चात् खड़ी नहीं करने पर इसकी शिकायत दिनांक 16.7.2015 को फोरम में की गई जिस पर फोरम द्वारा मुख्य अभियंता (जबलपुर शहर), पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. को शिकायत का निराकरण करने हेतु लिखा गया तथा कार्यवाही कर उपभोक्ता एवं फोरम को अवगत कराने के निर्देश दिये।

07 मुख्य अभियंता (जबलपुर शहर) द्वारा समय-सीमा में उपभोक्ता की टूटी लाईन खड़ी नहीं करने के कारण आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल को दिनांक 6.11.2015 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। चूंकि आवेदक को न तो फोरम से अपनी शिकायत का निराकरण मिला और न ही फोरम द्वारा दिये गये निर्देश के तहत अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही की गई जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा विद्युत लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज करानी पड़ी। फोरम द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया अतः म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.36 यहाँ लागू नहीं होती। अतः आवेदक का अभ्यावेदन स्वीकार किया गया।

08 उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक को अनावेदक द्वारा विद्युत पंप हेतु मीटर लगाकर कनेक्शन जारी किया गया है जिसकी पुष्टि दस्तावेज (ईओ-1) से होती है जिसके अनुसार आवेदक के यहाँ लगाया गया मीटर जो कि त्रुटिग्रस्त हो गया था को दिनांक 20.10.2012 को नया मीटर लगाकर बदला गया।

09 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ईओ-2) जिसमें कि आवेदक के विरुद्ध की गई बिलिंग का विवरण है के अनुसार आवेदक के विरुद्ध फरवरी 2013 में (-) 628/- बकाया थी जिसके उपरांत अनावेदक द्वारा बिना आवेदक की सहमति के फ्लेट रेट से बिलिंग प्रारंभ कर दी जिसका कि भुगतान

आवेदक द्वारा उक्त बिलिंग से सहमत न होने पर नहीं किया गया। जिसके कारण मई 2014 तक यह राशि बढ़कर रुपये 7155/- हो गई।

10 दिनांक 10.6.2014 को आवेदक की विद्युत लाईन टूट जाने से विद्युत प्रवाह बंद हो गया जो कि दिनांक 25.12.2015 को खम्बे खड़े करके लाईन चालू की गई। जबकि अनावेदक द्वारा इस अवधि (जून 2014 से नवंबर 2015 तक) फ्लेट रेट के आधार पर बिलिंग की जाती रही जिससे यह राशि रुपये 17985/- हो गई।

11 उपरोक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध फरवरी 2013 से की गई बिलिंग विवादित एवं त्रुटिपूर्ण है जबकि फरवरी 2013 में आवेदक के विरुद्ध रुपये (-) 628/- बकाया थी। अर्थात् आवेदक की विभाग में अतिरिक्त राशि एडवांस में जमा थी। अतः अनावेदक का यह कहना कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.37 के प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा नहीं कराने पर सुनवाई नहीं की जा सकती यह न्यायसंगत नहीं है इसलिए प्रकरण विद्युत लोकपाल में सुनवाई हेतु दर्ज किया गया।

12 प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा दस्तावेज (ईओ-1) प्रस्तुत किया गया तथा अनावेदक द्वारा दस्तावेज (ईओ-2 व ईओ-3) प्रस्तुत किये गये। उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि -

(i) आवेदक को उनके विद्युत पंप का कनेक्शन मीटरयुक्त कनेक्शन दिया गया था जो कि त्रुटिग्रस्त होने के कारण दिनांक 20.10.2012 को नया मीटर लगाकर बदला गया। (ईओ-1 के अनुसार)

(ii) फरवरी 2013 के पश्चात बिना आवेदक की सहमति के फ्लेट रेट क्रेटगिरी के अनुसार बिलिंग प्रारंभ कर दी गई। (ईओ-2 के अनुसार)

(iii) जून 2014 में आवेदक की विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने के पश्चात नवंबर 2015 तक आवेदक के विरुद्ध फ्लेट रेट क्रेटगिरी में बिलिंग की जाती रही।

(iv) आवेदक द्वारा दिसंबर 2015 में उनके विद्युत पंप के पास स्थापित अन्य विद्युत लाईन से तार जोड़कर विद्युत पंप चलाना स्वीकार किया तथा यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा यह कृत्य संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से अनुमति लेकर किया गया जिसकी पुष्टि तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा की गई।

(v) आवेदक द्वारा फोरम में शिकायत करने के उपरांत एवं फोरम द्वारा दिनांक 30.7.2015 को दिये गये निर्देश के उपरांत भी विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त लाईन को समय-सीमा में

पुनर्स्थापित नहीं किया गया। अतः विद्युत उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक को क्षति होना लाजमी है।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि –

- (i) आवेदक के विरुद्ध मार्च 2013 से मई 2014 तक फ्लेट रेट के आधार पर की गई बिलिंग को निरस्त कर पिछले वर्ष के सीजनल एवं गैर सीजनल महिनों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के परिसर में लगे मीटर द्वारा दर्ज विद्युत खपत के औसत के आधार पर बिलिंग संशोधित की जाए।
- (ii) आवेदक के विरुद्ध जून 2014 से दिसंबर 2015 तक अर्थात् जिस अवधि में विद्युत उपलब्ध नहीं थी, की गई बिलिंग को निरस्त किया जाए।
- (iii) आवेदक को उपरोक्त कारणों से हुई क्षति के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2012 के अध्याय-8 की कंडिका 8.1 के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आवेदक आयोग को आवेदन कर सकता है।

10 प्रकरण समाप्त कर आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल